निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-14/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, देहरादून के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री विनय कुमार द्विवेदी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री अजय सिंह लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.05.2018 से 10.05.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-II लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.के.गुप्ता एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.06.2016 से 17.06.2016 तक श्री राज कुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 03/2015 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 03/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** -

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	शून्य
2015-16	
2016-17	

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	-	-	172.54	152.84	-	19.70
2016-17	-	-	-	-	198.68	157.88	-	40.80
2017-18	-	-	-	-	172.25	166.52	-	5.73

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
ऐसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -C--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

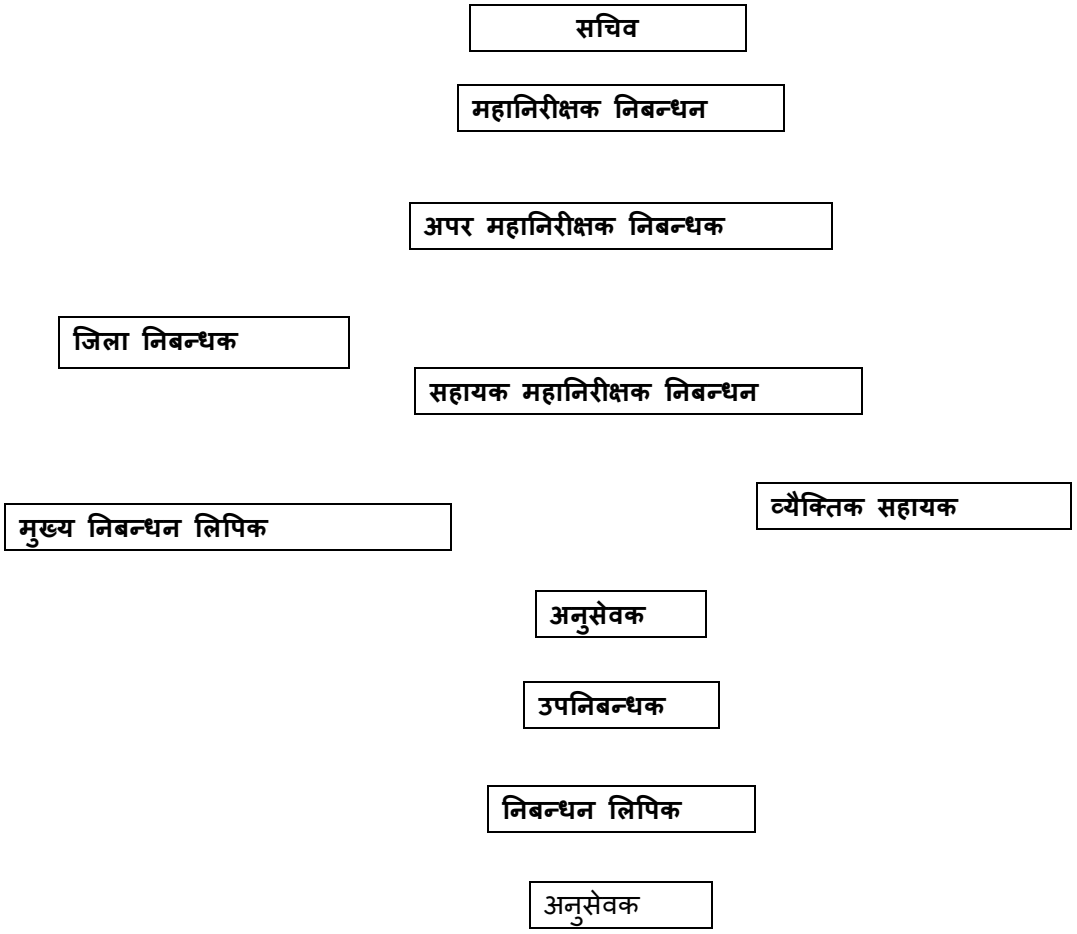

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **देहरादून जनपद** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन** :-

राजस्वः **----**लागू नहीं--------

व्ययः माह 03/2017, 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II(ब)

प्रस्तर 01 : प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना ₹143.91 लाख

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 33 में प्रावधानित समस्त लोक अधिकारियों का यह दायित्व है कि वो देखें कि उनके सम्मुख प्रस्तुत किए जा रहे विलेख सम्यक रूप से स्टांपित हैं या नहीं।

सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, देहरादून के माह 04/2016 से 03/2018 तक के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी।

(अ) मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा प्रभार्य स्टाम्प शुल्क पूर्ण आरोपित नहीं किया गया था । एम०डी०डी०ए० विभाग, देहरादून द्वारा किए गए पार्किंग अनुबंध में देय स्टांप शुल्क ₹21,82,180/-के सापेक्ष मात्र ₹300/- की वसूली की गयी थी । इस प्रकार पार्किंग अनुबंध के प्रकरणों में कुल ₹21,81,880/- स्टाम्प शुल्क कम वसूल किया गया था।

(ब) जिला खान अधिकारी देहरादून द्वारा ₹50,33,662/- के सापेक्ष मात्र ₹ 510 की वसूली की गयी थी अतः ₹ 50,33,152 स्टाम्प शुल्क वसूल नहीं किया गया था। इसी प्रकार जिला आबकारी

अधिकारी, देहरादून द्वारा ₹ 73,04,500 के सापेक्ष मात्र ₹ 1,29,025 की वसूली की गयी थी एवं ₹ 71,75,425 की वसूली अवशेष थी। इस प्रकार, दोनों प्रकरणों में कुल ₹ 122,08,627/- स्टाम्प शुल्क कम वसूल किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, देहरादून ने उत्तर दिया की विस्तृत उत्तर शीघ्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

उक्त प्रभार्य स्टाम्प शुल्क ₹143.91 लाख के कम वसूली का प्रकरण उच्चाधिकारियों/शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
	शून्य		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
	शून्य		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री माया राम जोशी	सहा.महानिरीक्षक निबन्धन (23.12.16 तक)

(ii) श्री अरूण प्रताप सिंह सहा.महानिरीक्षक निबन्ध (24.12.2016 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र